[2019] 9 एस. सी. आर. 1016

स्टेट बैंक ऑफ इंडिया एंड ओआरएस।

वी.

मोहम्मद बदरूद्दीन

(2019 की सिविल अपील No.5604)।

16 जुलाई, 2019

[एल. नागेश्वर राव और हेमंत गुप्ता, जे. जे.]

सेवा कानूनः

अनुशासन के स्वामित्व को वापस लेने की सजा

कार्यवाहियां-विभागीय जांच-अनिवार्य सेवानिवृत्ति की सजा-अपीलीय प्राधिकरण ने सजा को बदलकर प्रत्यावर्तन की सजा कर दिया-समीक्षा प्राधिकरण ने सजा को बरकरार रखा

सजा का आदेश पारित करने से पहले अपराधी और इसलिए उल्लंघनकारी प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों-सर्वोच्च न्यायालय में अपील-आयोजितः डिवीजन बेंच द्वारा निर्णय पर भरोसा किया गया, जिसके द्वारा

जाँच रिपोर्ट प्रस्तुत न करना प्राकृतिक न्याय के नियमों का उल्लंघन माना गया था, क्योंकि संभावित प्रभाव दिया गया था, उस निर्णय की तारीख से पहले की गई पूछताछ (यानी 20.11.1990) उस निर्णय में निर्धारित कानून से प्रभावित नहीं होगी-वर्तमान मामले में सजा का आदेश 20.11.1990 से पहले पारित किया गया था, इसे जाँच रिपोर्ट की प्रति प्रस्तुत न करने के आधार पर अलग नहीं किया जा सकता था-प्रत्यावर्तन की सजा बहाल की जाती है।

सेवा से हटाना-अधिकार-अनुशासनात्मक जांच

-

5 अपराधी के खिलाफ लगाए गए आरोप-जांच अधिकारी ने केवल आरोप संख्या 4 को साबित किया जबकि अन्य आरोप (आरोप संख्या। 1 , 2 , 3 & 5) साबित नहीं पाए गए-अनुशासनात्मक प्राधिकरण असहमत था

प्रभार संख्या के संबंध में निष्कर्षों के साथ। 1 और 5-इस प्रकार आवेश संख्या के आधार पर। 1,4 और 5 और पूर्ववर्ती विभागीय कार्यवाहियों में प्रत्यावर्तन की सजा के आधार पर, दंड/सेवा से हटाने की सजा-विभागीय अपील में आदेश की पुष्टि की गई-उच्च न्यायालय के एकल न्यायाधीश ने खारिज कर दिया

रिट याचिका-उच्च न्यायालय की खंड पीठ ने रिट अपील में अभिनिर्धारित किया

हटाने की सजा दूषित हो जाती है क्योंकि आरोप संख्या के संबंध में जांच रिपोर्ट से असहमति के कारण। 1 और 5 को अपराधी को प्रदान नहीं किया गया था और क्योंकि प्रत्यावर्तन की पिछली सजा को इसके बिना विचार में लिया गया था इसे अपराधी के ध्यान में लाना-सर्वोच्च न्यायालय में अपील-आयोजितः 42 वें संविधान संशोधन के बाद प्रस्तावित सजा को संप्रेषित करने की कोई अनिवार्य आवश्यकता नहीं है।

इसलिए, पिछली सजाओं को ध्यान में रखने के लिए संवैधानिक योजना में कोई रोक नहीं हो सकती है-इस प्रकार, कारण दर्शाओ नोटिस में पिछली सजाओं के बारे में नहीं बताने से लगाई गई सजा खराब नहीं होगी।

आरोप संख्या के संबंध में दर्ज असहमति के कारणों का गैर-संचार। 1 और 5 को भी दोष नहीं दिया जा सकता है -

हालाँकि, न्यायिक समीक्षा की शक्ति का प्रयोग करते हुए, सर्वोच्च न्यायालय आरोप संख्या 4 पर दर्ज निष्कर्षों को देखते हुए सेवा से हटाने की सजा को बनाए नहीं रख सकता है-यह अनुशासन के लिए है।

इस बात पर विचार करने का अधिकार कि क्या अकेले आरोप संख्या 4 के आधार पर हटाने की सजा स्थायी थी या नहीं-मामला अनुशासनात्मक प्राधिकरण को वापस भेज दिया जाता है।

पकड़नाः

सिविल अपील सं. 5605/2019

1. खंड पीठ ने विवादित आदेश द्वारा सजा के आदेश को इस आधार पर दरकिनार कर दिया कि अनुशासनात्मक आदेश के समक्ष जांच रिपोर्ट की प्रति अपराधी को नहीं दी गई थी। प्राधिकरण ने सजा का आदेश पारित किया, लेकिन सजा के आदेश के साथ प्रदान किया गया था, इसलिए, प्राकृतिक न्याय के मूल सिद्धांत का पूरी तरह से उल्लंघन है। * मोहम्मद में। रमजान खान मामला (डिवीजन बेंच द्वारा भरोसा किया गया मामला) में कहा गया है कि जहां भी जांच अधिकारी ने जांच के समापन पर अनुशासनात्मक प्राधिकरण को एक रिपोर्ट प्रस्तुत की है जिसमें अपराधी को किसी विशेष सजा के प्रस्ताव के साथ सभी या किसी भी आरोप का दोषी ठहराया गया है या नहीं, अपराधी ऐसी रिपोर्ट की एक प्रति का हकदार है और उसके खिलाफ प्रतिनिधित्व करने का भी हकदार होगा। रिपोर्ट प्रस्तुत न करना प्राकृतिक न्याय के नियमों का उल्लंघन होगा और अंतिम आदेश को इसके बाद चुनौती देने योग्य बना देगा। हालाँकि, उक्त निर्णय को ही [2019] 9 एस. सी. आर. दिया गया है।

संभावित प्रभाव अर्थात उससे पहले की गई पूछताछ

20 नवंबर, 1990 का निर्णय उक्त निर्णय में निर्धारित कानून से प्रभावित नहीं होगा। चूंकि दंड का आदेश अनुशासनात्मक प्राधिकरण द्वारा 20 नवंबर, 1990 से पहले पारित किया गया था, इसलिए इसे केवल इस कारण से अलग नहीं किया जा सकता था कि जांच रिपोर्ट की प्रति अपराधी को प्रदान नहीं की गई थी। नतीजतन, 2007 के एल. पी. ए. संख्या 261 में उच्च न्यायालय के आदेश को दरकिनार कर दिया गया है और अपीलीय प्राधिकरण द्वारा संशोधित न्यूनतम स्तर पर कनिष्ठ प्रबंधन श्रेणी के पद पर प्रत्यावर्तन के दंड के आदेश को बहाल करने का आदेश दिया गया है। [पैरा 4,5 और 7] [1021-ई-एच; 1022-एफ]

प्रबंध निदेशक, ईसीआईएल, हैदराबाद और अन्य। वी. बी. करुणाकर और अन्य। (1993) 4 एससीसी 727: [1993] 2 पूरक। एस. सी. आर. 576; भारत संघ और अन्य। वी. मोहम्मद. रमजान खान (1991) 1 एस. सी. सी. 588: [1990] 3 पूरक। एससीआर 248-आयोजित

अप्रयोज्य।

सिविल अपील सं. 5604/2019

2.1 पिछली सजाएं आरोप-पत्र का विषय नहीं हो सकतीं क्योंकि यह जांच के दायरे से बाहर है। जाँच अधिकारी द्वारा इस तरह के दंड दिए गए हैं

प्राकृतिक न्याय के सिद्धांत को पूरा करने के लिए अपराधी को जांच रिपोर्ट की एक प्रति भेजना है जो अपराधी के खिलाफ प्रतिकूल सामग्री है। कोई अनिवार्य आवश्यकता नहीं है प्रस्तावित दंड को संप्रेषित करना जिसका अनुच्छेद (2) द्वारा विशेष रूप से विचार किया गया था। 311 42 वें संविधान संशोधन से पहले। इसलिए, इस न्यायालय द्वारा व्याख्या की गई संवैधानिक योजना में पिछले दंडों को ध्यान में रखने के लिए कोई बाधा नहीं हो सकती है। इस प्रकार, कारण बताएँ नोटिस में पिछली सजाओं के बारे में नहीं बताने से लगाई गई सजा दूषित नहीं होगी।

[पारस 23 और 24] [1031-ई-एच; 1032-ए]

2.2 डिवीजन बेंच द्वारा दर्ज किए गए निष्कर्षों में कहा गया है कि सजा का आदेश असंक्रमित के आधार पर पारित किया गया था आरोप सं. के संबंध में दर्ज असहमति के कारण।

1 स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। वी. मोहम्मद बदरूद्दीन

और 5 को दोष नहीं दिया जा सकता है। उच्च न्यायालय ने सजा के आदेश को इस आधार पर रद्द कर दिया है कि यह प्राकृतिक न्याय के सिद्धांत का उल्लंघन करता है। हालाँकि, आरोप संख्या 4 दंड देने के लिए पर्याप्त हो सकता है, लेकिन यह आवश्यक नहीं है कि केवल आरोप संख्या 4 में सेवा से हटाने की सजा होगी। न्यायिक समीक्षा की शक्ति का प्रयोग करते समय, आरोप संख्या 4 पर दर्ज निष्कर्षों को ध्यान में रखते हुए सेवा से हटाने के दंड के आदेश को बनाए रखना इस न्यायालय के अधिकार क्षेत्र में नहीं होगा। यह अनुशासनात्मक प्राधिकरण पर है कि वह दोषी के खिलाफ साबित आरोप संख्या 4 को खोजने के बाद सजा दे क्योंकि वह उचित समझता है। [पारस 28 और 29] [1033-एफ-एच; 1034-ए-सी]

2.3 चूँकि अपराधी की आयु हो चुकी है

सेवानिवृत्ति, बहाली या निलंबन का कोई आदेश नहीं हो सकता है। इसे ध्यान में रखते हुए, 4 नवंबर, 1993 के दंड के आदेश के साथ-साथ अपीलीय प्राधिकरण के आदेश को भी दरकिनार कर दिया गया है और मामले को अनुशासनात्मक प्राधिकरण को वापस भेज दिया गया है ताकि इस बात पर विचार किया जा सके कि क्या वह आरोप संख्या पर असहमति के कारणों को दर्ज करना चाहेगा। 1 और 5 और/या आरोप संख्या 4 के आधार पर दंड अधिरोपित करें जिसके साथ कोई असहमति नहीं है, जैसा कि वह उचित समझे। [पैरा 32] [1035-डी-ई]

पी. डी. अग्रवाल बनाम भारतीय स्टेट बैंक और अन्य। (2006) 8 एस. सी. सी. 776 [2006] 1 पूरक। एससीआर 454; प्रबंधन

निदेशक, ईसीआईएल, हैदराबाद और अन्य। वी. बी. करुणाकर और

ओआरएस। (1993) 4 एससीसी 727: [1993] 2 पूरक। एससीआर 576

- पीछा किया।

पंजाब नेशनल बैंक और अन्य बनाम। के. के. वर्मा (2010) 13 एस. सी. सी. 444 [2010] 11 एस. सी. आर. 311; भारत संघ और

ओआरएस। वी. मोहम्मद. रमजान खान (1991) 1 एस. सी. सी. 588: [1990] 3 पूरक। एस. सी. आर. 248; पंजाब नेशनल बैंक और अन्य। वी. कुंज बिहारी मिश्रा (1998) 7 एस. सी. सी. 84: [1998] 1 पूरक। एससीआर 22-पर निर्भर।

उड़ीसा राज्य और अन्य। वी. बिद्याभूषण महापात्रा

ए. आई. आर 1963 एस. सी 779: [1963] पूरक। एससीआर 648; निकोलस पीरामल इंडिया लिमिटेड बनाम। हरिसिंह (2015) 8 एससीसी 272

प्रतिष्ठित

मैसूर राज्य बनाम। के. मंचे गौड़ा ए. आई. आर. 1964 एस. सी.

506 [1964] एस. सी. आर. 540 लागू नहीं हुआ।

[20

19] 9 एस. सी

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

सरकार. ए. पी. और अन्य। वी. मोहम्मद. ताहिर अली (2007) 8 एससीसी 656 [2007] 10 एस. सी. आर. 929; भारत संघ और अन्य। वी.

बिशंबर दास डोगरा (2009) 13 एस. सी. सी. 102

संदर्भित किया गया।

मामला कानून संदर्भ

अप्रयोज्य रखा गया

[1993] 2 पूरक। एससीआर 576

पै

रा 5

पै

रा 16

पीछा किया।

[1990] 3 पूरक। एससीआर 248

अप्रयोज्य रखा गया

पै

रा 5

उस पर भरोसा करें

पै

रा 16

[1998] 1 पूरक। एससीआर 22

उस पर भरोसा करें

पै

रा 12

[1963] पूरक। एससीआर 648

पै

रा 13

प्रतिष्ठित

[2006] 1 पूरक। एससीआर 454

पीछा किया।

पै

रा 13

[2007] 10 एससीआर 929

संदर्भित किया गया है

पै

रा 13

(2009) 13 एस. सी. सी 102

पै

रा 13

संदर्भित किया गया है

[1964] एससीआर 540

अप्रयोज्य रखा गया

पै

रा 14

(2015) 8 एससीसी 272

प्रतिष्ठित

पै

रा 15

[2010] 11 एससीआर 311

उस पर भरोसा करें

पै

रा 22

सिविल अपीलीय न्यायनिर्णयः सिविल अपील सं. 5

2019 का 2007 के एल. पी. ए. सं. 258 में रांची में झारखंड उच्च न्यायालय के दिनांक 18.04.2017 के निर्णय और आदेश से

के साथ

2019 की सिविल अपील संख्या 5605।

के. वी. विश्वनाथन, वरिष्ठ अधिवक्ता। , संजय कपूर, ए. ओ. आर. सुश्री मी कर्णवाल, हर्षल नारायण, सुश्री शुभ्रा कपूर, कौसर हुसैन, अपीलार्थियों के लिए ए।

संजीव कुमार चौधरी, सुश्री श्रद्धा चौधरी, अनिरुक पी. मयी, अधिवक्ता। उत्तरदाता के लिए।

स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। वी. मोहम्मद बदरूद्दीन

न्यायालय का निर्णय इसके द्वारा दिया गया था हेमंत गुप्ता, जे. 1. छुट्टी दे दी गई।

अनुमति दी गई और सजा के आदेशों को दरकिनार कर दिया गया। प्रत्यर्थी को पिछले वेतन सहित सभी परिणामी लाभ प्रदान किए गए थे। 3. उच्च न्यायालय ने अलग-अलग दंड लगाने वाली दो अलग-अलग रिट याचिकाओं से उत्पन्न दो अपीलों पर विचार किया है।

4. सबसे पहले, हम 2017 की विशेष अनुमति याचिका (नागरिक) संख्या 20770 से उत्पन्न नागरिक अपील पर विचार करते हैं। उक्त अपील 2007 की लेटर्स पेटेंट अपील संख्या 261 में उच्च न्यायालय द्वारा पारित एक आदेश के खिलाफ निर्देशित की गई है जिसमें अपीलीय प्राधिकरण ने निम्नलिखित के दंड को बदल दिया है:

भारतीय स्टेट बैंक (पर्यवेक्षी कर्मचारी) सेवा नियम 1 के नियम 49 (1) के संदर्भ में अनिवार्य सेवानिवृत्ति 12 अक्टूबर, 1988 के आदेश के अनुसार सबसे निचले स्तर पर कनिष्ठ प्रबंधन ग्रेड के पद पर प्रत्यावर्तन के लिए है। इस तरह का आदेश 1989 के C.W.J.C संख्या 444 में चुनौती का विषय बन गया। रिट याचिका खारिज कर दी गई थी लेकिन पत्र पेटेंट अपील की अनुमति दी गई थी। डिवीजन बेंच ने सजा के आदेश को इस आधार पर दरकिनार कर दिया कि अनुशासनात्मक प्राधिकरण द्वारा आदेश पारित करने से पहले जांच रिपोर्ट की प्रति अपराधी को नहीं दी गई थी।

सजा, लेकिन सजा के आदेश के साथ प्रदान की गई थी, इसलिए, प्राकृतिक न्याय के मूल सिद्धांत का पूरी तरह से उल्लंघन है।

5. हम पाते हैं कि संविधान पीठ के फैसले में बताया गया है

प्रबंध निदेशक, ईसीआईएल, हैदराबाद और अन्य। वी. बी. करुणाकर & Ors.[2] हालांकि उच्च न्यायालय द्वारा उद्धृत किया गया था, गलत तरीके से लागू किया गया था। अनुशासनात्मक प्राधिकरण ने 12 अगस्त, 1988 को भारत संघ और अन्य मामलों में इस न्यायालय के समक्ष सजा का आदेश पारित किया है। वी. मोहम्मद. रमजान खान 3 ने निर्धारित किया कि जहां भी जांच अधिकारी ने जांच के समापन पर अनुशासनात्मक प्राधिकरण को एक रिपोर्ट प्रस्तुत की है जिसमें अपराधी को किसी विशेष सजा के प्रस्ताव के साथ सभी या किसी भी आरोप का दोषी ठहराया गया है या नहीं, अपराधी को ऐसी रिपोर्ट की एक प्रति का अधिकार है और वह इसके खिलाफ प्रतिनिधित्व करने का भी हकदार होगा। रिपोर्ट प्रस्तुत न करना प्राकृतिक नियमों का उल्लंघन होगा।

1 'नियम'।

2 (1993) 4 एससीसी 727 3

3 (1991) 1 एससीसी 588 [2019] 9 एस. सी. आर.

न्याय करें और अंतिम आदेश को आगे चुनौती देने के लिए उत्तरदायी बनाएं। तथापि, उक्त निर्णय ने स्वयं संभावित प्रभाव दिया है अर्थात 20 नवंबर, 1990 के निर्णय से पहले संपन्न की गई पूछताछ उक्त निर्णय में निर्धारित कानून से प्रभावित नहीं होगी।

6. मोहम्मद में फैसला। रमजान के मामले को बी. करुणाकर में संविधान पीठ द्वारा अनुमोदित किया गया था, जिसमें इसे निम्नानुसार अभिनिर्धारित किया गया थाः

अनुशासनात्मक कार्यवाही। दी गई राहत स्पष्ट रूप से प्रति थी इनक्यूरियम। अतः उक्त राहत केवल उन अपीलों में संबंधित कर्मचारियों तक ही सीमित होनी चाहिए। कानून जो स्पष्ट रूप से है

वहाँ संचालन में संभावित बनाया गया, लागू नहीं किया जा सकता है

कथित त्रुटि के कारण पूर्वव्यापी रूप से। यह अब अच्छी तरह से व्यवस्थित है।

कि अदालतें अपने द्वारा निर्धारित कानून को संचालन में संभावित बना सकती हैं ताकि बसे हुए पदों के अस्थिर होने को रोका जा सके, प्रशासनिक अराजकता को रोका जा सके और न्याय के उद्देश्यों को पूरा किया जा सके। में।

इस संबंध में, हम कुछ प्रसिद्ध निर्णयों का उल्लेख कर सकते हैं

बिन्दु "।

7. चूंकि दंड का आदेश अनुशासनात्मक प्राधिकरण द्वारा 20 नवंबर, 1990 से पहले पारित किया गया था, इसलिए इसे केवल इस कारण से अलग नहीं किया जा सकता था कि जांच रिपोर्ट की प्रति अपराधी को प्रदान नहीं की गई थी। नतीजतन, 2007 के एल. पी. ए. संख्या 261 में उच्च न्यायालय के आदेश को दरकिनार कर दिया गया है और अपीलीय प्राधिकरण द्वारा संशोधित न्यूनतम स्तर पर कनिष्ठ प्रबंधन श्रेणी के पद पर प्रत्यावर्तन के दंड के आदेश को बहाल करने का आदेश दिया गया है।

8. उपरोक्त को ध्यान में रखते हुए, विशेष अधिनियम से उत्पन्न होने वाली दीवानी अपील

2017 की अनुमति याचिका (सिविल) संख्या 20770 की अनुमति है।

9. 2017 की विशेष अनुमति याचिका (सिविल) संख्या 20488 से उत्पन्न दीवानी अपील उच्च न्यायालय द्वारा पारित आदेश के खिलाफ निर्देशित है।

प्रत्यर्थी मोहम्मद बदरूद्दीन द्वारा दायर 1995 की C.W.J.C संख्या 2310 से उत्पन्न 2007 की पत्र पेटेंट अपील संख्या 258 में न्यायालय। रिट याचिका में चुनौती टेट बैंक ऑफ इंडिया द्वारा 4 नवंबर, 1993 के एक आदेश को दी गई है।

वी. मोहम्मद बदरूद्दीन [हेमंत गुप्ता, जे.]

प्रत्यर्थी को सेवा से हटाने का जुर्माना लगाया गया था। डिवीजन बेंच ने हटाने के आदेश को इस आधार पर रद्द कर दिया कि

आरोप संख्या में असहमति के कारणों के रूप में प्राकृतिक न्याय के सिद्धांत का निर्धारण। 1 और 5 को अपराधी को सूचित नहीं किया गया था।

10. प्रत्यर्थी को आरोप पत्र दिया गया था

) 13 जून, 1989 को निम्नलिखित पाँच आरोपों के संबंध में।

" शुल्क-1.

15.12.1983 पर, उसने एक नकली नाम से बचत बैंक खाता संख्या 11945 खोला। श्री अजीत कुमार अग्रवाल ने संबंधित खाता खोलने के फॉर्म पर दिखाई देने वाले जाली हस्ताक्षर को भी सत्यापित किया। इस प्रकार उन्होंने उक्त खाता खोलने में घोर लापरवाही दिखाई, जिसके माध्यम से रुपये की धोखाधड़ी की एक श्रृंखला को अंजाम दिया गया, जिससे बैंक को उतनी ही राशि का आर्थिक नुकसान हुआ। उक्त के माध्यम से हेरफेर किए गए धोखाधड़ी वाले भुगतान की सूची

शुल्क-2. उन्होंने विभिन्न बचत बैंक खातों से निम्नलिखित भुगतान (ए से के) पारित किए, हालांकि संबंधित साधन नहीं थे

संबंधित खातों में पोस्ट किया गयाः

इसके अलावा, खाते की शेष राशि सं। 10586 बी, सी, डी, ई और एफ के खिलाफ उल्लिखित भुगतान करते समय रु। केवल 875.44। उपरोक्त सभी भुगतान एक बार धोखाधड़ी साबित हुए। अगर उन्होंने उपकरणों को पास करने से पहले संबंधित खाते को संदर्भित करने की परवाह की होती, तो रुपये की धोखाधड़ी को टाला जा सकता था।

शुल्क-3

उन्होंने उपरोक्त भुगतान को स्वयं को संतुष्ट किए बिना पारित कर दिया कि सापेक्ष साधन प्रत्येक विशेष में क्रम में थे और

इस प्रकार पैरा 3 (सी), अध्याय 2 में निहित निर्देशों का उल्लंघन किया गया।

बैंक की निर्देश पुस्तिका का खंड-II। शुल्क-4

निम्नलिखित तिथियों पर (आरोप पत्र के ए से जी तक) क्लीन कैश बुक की जांच करते समय, वह इस बात पर ध्यान देने में विफल रहे कि उसमें दिखाई देने वाले बचत बैंक खाते के आंकड़े बचत [2019] 9 एस. सी. आर. के आंकड़ों से मेल नहीं खाते हैं।

बैंक सारांश दिवस पुस्तक। क्लीन की उनकी पूर्ण जाँच

शुल्क-5 इस प्रकार वह न केवल निष्ठा और परिश्रम के साथ अपने कर्तव्यों का निर्वहन करने में विफल रहे हैं, बल्कि भारतीय स्टेट बैंक के नियम 32 (4) के विपरीत भी हैं।

(पर्यवेक्षण कर्मचारी) सेवा नियम लेकिन इसके कारण भी भारी नुकसान हुआ बैंक को आर्थिक नुकसान "।

11. जाँच अधिकारी ने 5 फरवरी, 1992 की अपनी रिपोर्ट में आरोप संख्या निर्धारित की। 1 , 2 , 3 और 5 दोषी एच आरोप संख्या 4 के खिलाफ साबित नहीं हुए। अनुशासनात्मक प्राधिकरण आरोप संख्या के संबंध में निष्कर्षों से असहमत था। 1 और 5 और निम्नानुसार आयोजित किया गयाः

" (i) अपीलार्थी समर्पण के साथ अपने कर्तव्यों का निर्वहन करने में विफल रहा और

परिश्रम; (ii) अपीलार्थी बचत बैंक खाता संख्या 11945 खोलने से पहले जमाकर्ता का साक्षात्कार करने में विफल रहा और उसने यह भी सुनिश्चित नहीं किया कि जमाकर्ताओं द्वारा विवरणों को पूरा किया जाए।

खाता खोलने के साथ-साथ विशिष्ट हस्ताक्षर प्रपत्र इसके परिणामस्वरूप श्री अजीत कुमार अग्रवाल के नाम से एक नकली बचत बैंक खाता खोला गया, जिसके माध्यम से रुपये की धोखाधड़ी की एक श्रृंखला को अंजाम दिया गया। उक्त कार्रवाई ने घोर लापरवाही का संकेत दिया जिससे बैंक को काफी वित्तीय नुकसान हुआ।

(iii) अपीलार्थी को क्लीन कैश बुक की पूरी तरह से जाँच करने का दोषी पाया गया, जिसके परिणामस्वरूप धोखाधड़ी को दबाया गया। Rs.70,000/-। एक शाखा प्रबंधक के रूप में, वह क्लीन कैश में दिखाई देने वाले बचत बैंक खाते के सभी आंकड़ों पर भी ध्यान देने में विफल रहे।

कई तिथियों पर बैंक दिवस की पुस्तकें। अगर उन्होंने क्लीन कैश बुक को ध्यान से देखा होता तो अंतर पता चलता। उसी दिन।

12. अभिलिखित निष्कर्षों के आधार पर और निम्नतम स्तर पर कनिष्ठ प्रबंधक श्रेणी में परिवर्तन को ध्यान में रखते हुए

यदि, अपराधी को नियमों के नियम 67 (जी) की धाराओं में सेवा से हटाने का जुर्माना लगाया गया था। राहत के ऐसे आदेश के खिलाफ अपील 8 मार्च, 1995 को खारिज कर दी गई थी। रिट याचिका विद्वान एकल पीठ द्वारा 15 जून, 2007 को जारी की गई थी।

लेकिन एक इंट्रा स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में। वी. मोहम्मद बदरूद्दीन [हेमंत गुप्ता, जे.]

अदालती अपील, डिवीजन बेंच ने विद्वान एकल बेंच द्वारा पारित आदेश के साथ-साथ अनुशासनात्मक प्राधिकरण द्वारा लगाए गए सजा के आदेश को भी रद्द कर दिया। डिवीजन बेंच ने पंजाब नेशनल बैंक और

आरोप संख्या 4 पर अभिलिखित निष्कर्षों के संबंध में। शुल्क संख्या 4 एक गंभीर और स्वतंत्र आरोप है और इसलिए, सजा का आदेश सेवा से हटाने के आदेश के रूप में हस्तक्षेप की गारंटी नहीं देगा।

अकेले इस तरह के आरोप को कदाचार के लिए असमान नहीं कहा जा सकता है। उड़ीसा और अन्य राज्यों के मामले में संविधान पीठ के फैसले पर निर्भरता रखी गई है। वी. बिद्याभूषण महापात्रा 'और पी. डी.

अग्रवाल बनाम. भारतीय स्टेट बैंक और अन्य। ' यह तर्क देने के लिए कि आरोपों की पृथकता के सिद्धांत को देखते हुए, सजा का आदेश न्यायिक समीक्षा की शक्ति के प्रयोग में हस्तक्षेप की गारंटी नहीं देगा

भारत के संविधान के अनुच्छेद 226 के तहत उच्च न्यायालय के साथ। एक अन्य कारण जो उच्च न्यायालय के लिए भारी था, वह यह था कि सबसे निचली श्रेणी में कनिष्ठ प्रबंधक को वापस करने की पिछली सजा पर विचार किया गया था, हालांकि अपराधी को कार्यवाही में इस तरह के तथ्य से अवगत नहीं कराया गया था। यह तर्क दिया जाता है कि सरकार में इस न्यायालय के फैसले को देखते हुए इस तरह का तर्क मान्य नहीं है। ए. पी. और अन्य। वी. मोहम्मद. ताहिर अली 'और भारत संघ और अन्य में भी। वी. बिशंबर दास डोगरा '। यह भी तर्क दिया जाता है कि चूंकि अपराधी के खिलाफ आरोप बैंक के मामलों से निपटने के दौरान धोखाधड़ी और धोखाधड़ी के आचरण की घोर लापरवाही से संबंधित है, इसलिए, ऐसा अपराधी जिसे न केवल सार्वजनिक धन बल्कि ग्राहकों के धन के साथ भी सौंपा गया था, किसी भी संलिप्तता की गारंटी नहीं देता है।

14. दूसरी ओर, अपराधी का विद्वान वकील मैसूर राज्य में इस न्यायालय के संविधान पीठ के फैसले पर निर्भर करता है। वी. के. मंचे गौड़ा 'ने तर्क दिया कि पिछली सजा से पहले

4 (1998) 7 एससीसी 84

$ ए. आई. आर 1963 एस. सी 779

(2006) 8 एस. सी. सी. 776 (2007) 8 एस. सी. सी. 656

8 (2009) 13 एस. सी. सी 102

' आकाशवाणी 1964 एससी 506 [2019] 9 एस. सी. आर.

ध्यान में रखते हुए, अपराधी को इस तथ्य के बारे में जागरूक किया जाना चाहिए। निर्भरता निम्नलिखित पर हैः

" 8. टॉप ऑफ फॉर्म को बंद करने से पहले, एक बात स्पष्ट करना आवश्यक होगा। यह सुझाव दिया जाता है कि एक सरकारी कर्मचारी के पिछले रिकॉर्ड, यदि सजा देने के लिए उस पर भरोसा किया जाना है, तो जांच के पहले चरण में विशिष्ट आरोप लगाया जाना चाहिए।

प्रकृति में अनुशंसा करने वाला और अंतिम प्राधिकरण जो इसकी जांच करता है और सजा देता है, उसे लागू करने का अधिकार है। किसी व्यक्ति विशेष के पास उचित अवसर है या नहीं, यह कुछ हद तक जांच के विषय की प्रकृति पर निर्भर करता है। लेकिन इस मामले में यह तय करना आवश्यक नहीं है कि क्या इस तरह के पिछले रिकॉर्ड को जांच के पहले चरण में आरोप का विषय बनाया जा सकता है। लेकिन, कानून में कुछ भी दंडक प्राधिकरण को उस तथ्य को ध्यान में रखने से नहीं रोकता है जाँच के दूसरे चरण के दौरान, अनिवार्य रूप से यह अपराध के बजाय सजा के क्षेत्र से अधिक संबंधित है। लेकिन जो आवश्यक है वह यह है कि सरकारी कर्मचारी को उस तथ्य को जानने और उसे पूरा करने का उचित अवसर दिया जाए।

कि पिछले अभिलेख को अपराधी को सूचित किए बिना ध्यान में नहीं रखा जा सकता था, इसलिए, पिछले दंडों को ध्यान में रखते हुए हटाने की सजा मान्य नहीं है। 16. अपीलार्थियों के विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता श्री विश्वनाथन का तर्क है कि के. मांचे गौड़ा में संविधान पीठ का निर्णय अनुच्छेद 311 के प्रावधानों के संबंध में है क्योंकि वे 42 वें संविधान संशोधन द्वारा उक्त प्रावधान के संशोधन से पहले मौजूद थे। निर्भरता मोहम्मद पर रखी गई है। बी. करुणाकर के मामले में संविधान पीठ ने रमजान खान के मामले की पुष्टि करते हुए कहा कि संविधान संशोधन के बाद प्रस्तावित सजा की कोई सूचना नहीं दी गई है।

सेवा करने की आवश्यकता है। अतः, संबंधित निर्णय का अनुपात

10 (2015) 8 एस. सी. सी. 272 टेट बैंक ऑफ इंडिया।

2 और संवैधानिक संशोधन इस पद पर लागू नहीं होगा।डिमेंट कार्यवाही।

17. हमने पक्षों के लिए विद्वान वकील को सुना है और पाया है

श्री विश्वनाथन द्वारा उठाए गए तर्कों में, विद्वान वरिष्ठ

अपीलार्थियों के लिए, कुछ हद तक। 42 वाँ संविधान

एन. डी. एम. टी. ने भारत के संविधान की धारा 311 के खंड (2) में दिखाई देने वाले निम्नलिखित शब्दों को हटा दिया, जो निम्नानुसार हैः

" और जहां यह प्रस्तावित किया गया है, ऐसी जांच के बाद उस पर कोई आरोप लगाने के लिए

ऐसा दंड, जब तक कि उसे एक उचित अवसर नहीं दिया गया है

प्रस्तावित दंड पर प्रतिनिधित्व करना, लेकिन केवल

ऐसी जाँच के दौरान प्रस्तुत किए गए साक्ष्य का आधार।

18. इस तरह के हटाए गए प्रावधानों के अवलोकन से पता चलता है कि

दंड पर अभ्यावेदन प्रस्तुत करने के लिए योग्यता देने की आवश्यकता थी

लेकिन इस तरह की आवश्यकता को 42 वें संविधान द्वारा हटा दिया गया था

एन. डी. एम. मोहम्मद में यह अदालत। रमजान के मामले पर विचार किया गया

समापन और निम्नानुसार आयोजित किया गयाः

या सजा के प्रस्ताव के बिना जाँच अधिकारी की रिपोर्ट एक अतिरिक्त सामग्री का गठन करता है जिसमें लिया जाएगा

मामले से निपटने में अनुशासनात्मक प्राधिकारी द्वारा लेखा। में।

जिन मामलों में सजा प्रस्तावित की जाती है, उनका मूल्यांकन किया जाता है -

सामग्री और एक अस्थायी निष्कर्ष पर विचार के लिए पहुंचा गया है

अनुशासनात्मक प्राधिकारी और वह कार्रवाई वह है जहाँ

अपराधी के खिलाफ प्रतिकूल सामग्री और भी अधिक है। उच्चारण करते हैं।

XX

12. हम पहले ही इस स्थिति को देख चुके हैं कि बयालीस

संशोधन ने जांच के दूसरे चरण को हटा दिया है जो

एक प्रस्ताव के नोटिस की सेवा के साथ शुरू होगा

अनुच्छेद 311 (1) में उल्लिखित तीन दंड और

अपराधी अधिकारी उसी के खिलाफ और उस पर प्रतिनिधित्व करेगा इस तरह के प्रतिनिधित्व और/या मौखिक सुनवाई का आधार प्रदान किया गया

अनुशासनात्मक प्राधिकरण सजा के बारे में फैसला करता है। को हटाना

लेख में उचित अवसर की अवधारणा से यह भाग

311 (2) , हमारी राय में, [2019] 9 एस. सी. आर. में कोई भौतिक परिवर्तन नहीं लाता है।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

रिपोर्ट की प्रति प्रदान करने की आवश्यकता के संबंध में

अपराधी।

XX

XX

XX

15. अनुच्छेद की योजना से दूसरा अवसर हटाना

311 (2) संविधान का प्रावधान से कोई लेना-देना नहीं है

उसके बनाने के मामले में अपराधी को रिपोर्ट की प्रति प्रतिनिधित्व। भले ही जांच का दूसरा चरण

अनुच्छेद 311 (2) को संशोधन द्वारा समाप्त कर दिया गया है, अपराधी

अभी भी जांच के निष्कर्ष के खिलाफ प्रतिनिधित्व करने का हकदार है

अधिकारी का मानना है कि आरोप या कुछ आरोप हैं

स्थापित किया गया और अपराधी को ऐसे आरोपों का दोषी ठहराया गया। के लिए जांच रिपोर्ट के प्रभाव को दूर करना या पूरा करना

अधिरोपण के मामले में जांच अधिकारी की सिफारिशें

सजा, रिपोर्ट की एक प्रति प्रस्तुत करना आवश्यक हो जाता है

और कुछ सामग्री का उपयोग करके कार्यवाही को पूरा करना।

उचित प्रक्रिया से। जबकि कानून द्वारा प्राकृतिक न्याय का अनुप्रयोग किया जा सकता है पूरी तरह से खारिज या काट दिया जाए, यहाँ कुछ भी नहीं किया गया है जो

प्राकृतिक न्याय को कार्यवाही से बाहर रखने के रूप में लिया जा सकता है और इस न्यायालय के निर्णयों की श्रृंखला के नियम बनाते हैं

निष्कर्ष निकालना कि जांच रिपोर्ट की एक प्रति की आपूर्ति के साथ-साथ प्रस्तावित दंड के मामले में सिफारिश, यदि कोई हो,

प्राकृतिक न्याय के नियमों के भीतर लागू किया जाएगा और

अतः अपराधी एक प्रति की आपूर्ति का हकदार होगा।

वहाँ से। बयालीसवां संशोधन कोई नहीं लाया है

इस स्थिति में परिवर्तन करें। "

19. बाद में, बी. करुणाकर की संविधान पीठ ने पुष्टि की कि

यह अभिनिर्धारित करना कि प्रस्तावित दंड के विरुद्ध कारण बताने के लिए दोषी कर्मचारी को नोटिस जारी करना अब आवश्यक नहीं था। न्यायालय ने निम्नानुसार अभिनिर्धारित कियाः

" 19. मोहम्मद में। रमजान खान मामला [(1991) 1 एससीसी 588: 1991

एससीसी (एल एंड एस) 612: (1991) 16 ए. टी. सी. 505] सवाल स्पष्ट रूप से

तीन विद्वान न्यायाधीशों की पीठ के समक्ष विचार के लिए आया

इस न्यायालय का, अर्थात। , कि हालांकि चालीस के कारण संविधान का दूसरा संशोधन, यह अब TATE बैंक ऑफ इंडिया नहीं था।

वी. मोहम्मद बदरूद्दीन [हेमंत गुप्ता, जे.]

अपराधी कर्मचारी को दिखाने के लिए एक नोटिस जारी करना आवश्यक है

प्रस्तावित दंड के विरुद्ध कार्य करना और, इसलिए,

जुर्माने के खिलाफ प्रतिनिधित्व करने के लिए नोटिस के साथ जांच अधिकारी की रिपोर्ट की एक प्रति प्रस्तुत करें, चाहे वह

प्राधिकरण ने अपराध के संबंध में अपना निर्णय लिया या अन्यथा कर्मचारी को ध्यान में रखते हुए

रिपोर्ट में कहा गया है। न्यायालय ने अभिनिर्धारित किया कि जब भी जांच अधिकारी

अनुशासनात्मक प्राधिकरण और रिपोर्ट के अलावा अन्य है

जाँच अधिकारी कर्मचारी को सभी या किसी भी मामले में दोषी ठहराता है।

किसी भी सजा के प्रस्ताव के साथ आरोप या नहीं,

अपराधी कर्मचारी को सक्षम करने के लिए रिपोर्ट की एक प्रति का अधिकार है

उसे अनुशासनात्मक प्राधिकारी के समक्ष प्रतिनिधित्व करने के लिए इसके विरुद्ध और रिपोर्ट प्रस्तुत न करना एक

प्राकृतिक न्याय के नियमों का उल्लंघन।

XX

XX

XX

25. जबकि रिपोर्ट में निष्कर्षों के खिलाफ प्रतिनिधित्व करने का अधिकार है

पहले चरण के दौरान उपलब्ध उचित अवसर का हिस्सा

अनुशासनात्मक प्राधिकरण ने रिपोर्ट में निष्कर्षों पर विचार किया है और के अपराध के संबंध में निष्कर्ष पर आया है

कर्मचारी और इसके आधार पर जुर्माना देने का प्रस्ताव करता है

निष्कर्ष निकालते हैं। पहला अधिकार निर्दोष साबित करने का अधिकार है।

दूसरा अधिकार यह है कि या तो कोई जुर्माना नहीं लगाया जाए या कम जुर्माना लगाया जाए।

दंड यद्यपि अपराध के संबंध में निष्कर्ष स्वीकार किया जाता है। यह दूसरा अधिकार है जो दूसरे चरण में प्रयोग किया जा सकता है।

जिसे 42 वें संशोधन द्वारा हटा लिया गया था।

XX

XX

XX

29 .

अतः यह अभिनिर्धारित किया जाना चाहिए कि जब जांच अधिकारी नहीं है

अनुशासन के समक्ष जांच अधिकारी की रिपोर्ट की एक प्रति प्राधिकरण अपराध या [2019] 9 एस. सी. आर. के संबंध में अपने निष्कर्ष पर पहुँचता है।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

लगाए गए आरोपों के संबंध में कर्मचारी की बेगुनाही

उसके खिलाफ। यह अधिकार कर्मचारी के बचाव के अधिकार का एक हिस्सा है।

स्वयं अपने ऊपर लगाए गए आरोपों के खिलाफ। का खंडन अनुशासनात्मक प्राधिकारी के समक्ष जांच अधिकारी की रिपोर्ट

आरोपों पर निर्णय, उचित अवसर से इनकार है

कर्मचारी को अपनी बेगुनाही साबित करने के लिए और इसका उल्लंघन है

प्राकृतिक न्याय के सिद्धांत।

30. ((iv) हमने जो दृष्टिकोण अपनाया है, अर्थात। , करने का अधिकार

निष्कर्षों के खिलाफ अनुशासनात्मक प्राधिकरण को प्रतिनिधित्व

जाँच रिपोर्ट में दर्ज किया जाना अवसर का एक अभिन्न अंग है।

आरोपों के खिलाफ बचाव का और के सिद्धांतों का उल्लंघन है

उक्त अधिकार को अस्वीकार करने के लिए प्राकृतिक न्याय, यह केवल उचित है कि

मोहम्मद में निर्धारित कानून। रमजान का मामला कर्मचारियों पर लागू होना चाहिए

सभी प्रतिष्ठानों में, चाहे वे सरकारी हों या गैर-सरकारी,

सार्वजनिक हो या निजी। यह मामला होगा कि क्या नियम हैं

अनुशासनात्मक कार्यवाही को नियंत्रित करना या नहीं और क्या वे

रिपोर्ट की प्रति प्रस्तुत करने को स्पष्ट रूप से प्रतिबंधित करें या हैं

विषय पर चुप रहें। सजा की प्रकृति जो भी हो, आगे,

विचाराधीन सजा, अपराधी कर्मचारी को दी जानी चाहिए इससे पहले जांच अधिकारी की रिपोर्ट का लाभ लें

अनुशासनात्मक प्राधिकरण आरोपों पर अपने निष्कर्ष दर्ज करता है उसके खिलाफ आरोप लगाया। अतः प्रश्न (iv) का उत्तर दिया जाता है।

तदनुसार "।

(जोर दिया गया)

20. के. मांचे गौड़ा के मामले में, जांच अधिकारी

सिफारिश की गई कि अपराधी को रैंक में कम किया जा सकता है। लेकिन जाँच अधिकारी की रिपोर्ट के बाद कारण बताएँ नोटिस देते समय, अनुशासन प्राधिकरण ने सेवा से बर्खास्तगी की सजा का प्रस्ताव रखा।

दण्ड के आदेश में अपराधी पर लगाए गए पिछले दंडों को इस निष्कर्ष पर पहुंचने के लिए माना गया कि अपराधी अयोग्य है।

सरकारी सेवा में बने रहने के लिए और इसलिए, उन्हें सेवा से बर्खास्त करने का आदेश दिया गया। इन परिस्थितियों में, न्यायालय ने आदेश दिया कि जांच के दूसरे चरण के दौरान पिछले आचरण को ध्यान में रखा जा सकता है, जो अनिवार्य रूप से जांच के क्षेत्र से अधिक संबंधित है।

अपराध के बजाय सजा। अपराधी को उस तथ्य को जानने और उसे पूरा करने का अवसर दिया जाना चाहिए।

स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। वी. मोहम्मद बदरूद्दीन [हेमंत गुप्ता, जे.]

21. संविधान के अनुच्छेद 311 के खंड (2) से उपरोक्त शब्दों को हटाना आवश्यकता को पूरी तरह से बदल देता है।

प्रस्तावित सजा के संबंध में नोटिस देने का। भारत के संविधान के अनुच्छेद 311 के संशोधित प्रावधानों पर विचार किया गया है।

मोहम्मद में। रमजान के मामले में और बाद में बी. करुणाकर के मामले में। निकोलस पीरामल इंडिया लिमिटेड में इस न्यायालय का निर्णय औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 के तहत श्रम न्यायालय द्वारा पारित एक निर्णय से उत्पन्न होता है। श्रम न्यायालय का अधिकार क्षेत्र बहुत व्यापक है जहाँ श्रम न्यायालय द्वारा उक्त अधिनियम की धारा 11-ए के संदर्भ में सजा की समीक्षा की जा सकती है।

22. पंजाब नेशनल बैंक और अन्य बनाम में यह न्यायालय। के. के. वर्मा 1 1 ने भी यही विचार रखा है कि प्रस्तावित दंड के खिलाफ प्रतिनिधित्व करने का अधिकार 42 वें संशोधन द्वारा छीन लिया गया है। यह इस प्रकार आयोजित किया गया थाः

" 32. इस प्रकार, अपनी बेगुनाही साबित करने के लिए जांच रिपोर्ट में निष्कर्षों के खिलाफ प्रतिनिधित्व करने का अधिकार प्रस्तावित दंड के खिलाफ प्रतिनिधित्व करने के अधिकार से अलग है। प्रस्तावित दंड के खिलाफ प्रतिनिधित्व करना केवल दूसरा अधिकार है जिसे 42 वें द्वारा छीन लिया जाता है।

संशोधन। में निष्कर्षों के खिलाफ प्रतिनिधित्व करने का अधिकार रिपोर्ट किसी भी तरह से विचलित नहीं होती है। वास्तव में, इसका कोई भी खंडन होगा

अंतिम आदेश को असुरक्षित बनाएँ। "

23.इस प्रकार, प्रस्तावित सजा के लिए दूसरे कारण बताने के नोटिस की आवश्यकता को समाप्त कर दिया गया है। अब आदेश केवल अपराधी को जाँच अधिकारी की रिपोर्ट से अवगत कराने के लिए है। प्रस्तावित दंड को संप्रेषित करने की कोई आवश्यकता नहीं है जिस पर 42 वें संशोधन से पहले अनुच्छेद 311 के खंड (2) द्वारा विशेष रूप से विचार किया गया था।

कार्यवाही। 42 वें संशोधन द्वारा विशेष रूप से दूसरे कारण दस्सो नोटिस की आवश्यकता को हटा दिया गया है। इसलिए, अब एकमात्र आवश्यकता यह है कि प्राकृतिक न्याय के सिद्धांत को पूरा करने के लिए अपराधी को जांच रिपोर्ट की एक प्रति भेजी जाए, जो अपराध के खिलाफ प्रतिकूल सामग्री है। अपराधी। प्रस्तावित सजा को संप्रेषित करने की कोई अनिवार्य आवश्यकता नहीं है। इसलिए, संवैधानिक योजना में पिछले दंडों को ध्यान में रखने के लिए कोई रोक नहीं हो सकती है क्योंकि

इस न्यायालय द्वारा प्रस्तुत। इस प्रकार, पिछले का गैर-संचार

कारण दर्शाओ नोटिस में दिए गए दंड से सजा खराब नहीं होगी।

सेड।

25. कुंज बिहारी मिश्रा में, यह स्पष्ट रूप से माना गया है कि जब

आरवाई रिपोर्ट अपराधी अधिकारी के पक्ष में है लेकिन अनुशासनात्मकप्राधिकरण इस तरह के निष्कर्षों से अलग होने का प्रस्ताव करता है तो वह प्राधिकरण

अपराधी को सुनवाई का अवसर दें, अन्यथा उसकी निंदा बिना सुने की जाएगी। न्यायालय ने निम्नानुसार अभिनिर्धारित कियाः

" 17. ये टिप्पणियां स्पष्ट रूप से बिमल कुमार पंडित मामले [ए. आई. आर. 1963 एस. सी. 1612] में टिप्पणियों के अनुरूप हैंः (1964) 2 एस. सी. आर 1: (1963) 1 एल. एल. जे. 295] पहले उद्धृत किया गया था और यह पहले चरण में ही लागू होगा। उपरोक्त परिच्छेद स्पष्ट रूप से सामने लाते हैं

प्राधिकरण की आवश्यकता जो अंत में एक प्रतिकूल रिकॉर्ड करना है अपराधी अधिकारी को सुनवाई देना। अगर जांच अधिकारी ने करुणाकर मामले के अनुसार प्रतिकूल निष्कर्ष दिया था

[(1993) 4 एससीसी 727: 1993 एस. सी. सी. (एल. एंड एस.) 1184: (1993) 25 ए. टी. सी. 704] पहले चरण में कर्मचारी को अवसर दिए जाने की आवश्यकता थी।

जाँच अधिकारी द्वारा उन्हें अवसर दिया गया था। यह. यह तर्क देने के लिए खड़ा नहीं होगा कि जब पक्ष में निष्कर्ष

अनुशासनात्मक प्राधिकारी द्वारा अपराधी अधिकारियों को पलटने का प्रस्ताव है तो कोई अवसर नहीं दिया जाना चाहिए। पहला चरण

जाँच तब तक पूरी नहीं होती जब तक कि अनुशासनात्मक प्राधिकारी ने

अपने निष्कर्षों को दर्ज किया। प्राकृतिक न्याय के सिद्धांत मांग करें कि प्राधिकरण जो इसके खिलाफ निर्णय लेने का प्रस्ताव करता है

अपराधी अधिकारी को उसकी सुनवाई करनी चाहिए। जब पूछताछ की जाती है

अधिकारी आरोप साबित करने के लिए रखता है, फिर उस रिपोर्ट को अपराधी अधिकारी को दिया जाना चाहिए जो एक प्रतिनिधित्व कर सकता है

इससे पहले कि अनुशासनात्मक प्राधिकारी आगे की कार्रवाई करे जो हो सकता है

अपराधी अधिकारी के प्रति पूर्वाग्रहपूर्ण होना। जब, वर्तमान मामले की तरह, जांच रिपोर्ट अपराधी अधिकारी के पक्ष में है, लेकिन अनुशासनात्मक प्राधिकरण इस तरह के निष्कर्षों से अलग होने का प्रस्ताव करता है,

तब वह प्राधिकारी जो अपराधी अधिकारी के खिलाफ निर्णय ले रहा है

उसे सुनवाई का अवसर देना चाहिए अन्यथा वह बिना सुने निंदा की जाएगी। विभागीय कार्यवाही में, जो अंतिम महत्व रखता है वह है अनुशासनात्मक प्राधिकारी का निष्कर्ष निकालना।

26. बिद्याभूषण महापात्रा के मामले में इस अदालत का फैसला

वर्तमान मामले के तथ्यों पर लागू नहीं होता है जैसा कि उपरोक्त स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में है।

वी. मोहम्मद बदरूद्दीन [हेमंत गुप्ता, जे.]

मामले में, उच्च न्यायालय ने माना है कि आरोपों पर न्यायाधिकरण के निष्कर्ष

1 (क) और 1 (ङ) को दूषित कर दिया गया क्योंकि यह प्राकृतिक न्याय के नियमों का पालन करने में विफल रहा था। वर्तमान मामले में, अपराधी को असहमति के कारणों से अवगत नहीं कराया गया है, जिन्हें दंड देने के चरण से पहले कुंज बिहारी मिश्रा के मामले में इस न्यायालय के फैसले को देखते हुए अपराधी को सूचित करने की आवश्यकता थी। चूंकि असहमति के कारणों को सूचित नहीं किया गया था, इसलिए हटाने का आदेश

सेवा इस बारे में अनुमानों के दायरे में होगी कि क्या हटाने की सजा केवल आरोप संख्या 4 पर ही स्थायी होगी। निर्दिष्ट निर्णय केवल सजा के संबंध में है जो अपराध के निष्कर्ष को दर्ज करने के बाद दूसरा चरण है। वर्तमान मामले में, असहमति के कारणों को बताने की पूर्व आवश्यक शर्त का पालन नहीं किया गया है, जिससे अपराध का पता चलता है। इसलिए,

निर्णय वर्तमान मामले के तथ्यों पर लागू नहीं होता है।

27. पी. डी. अग्रवाल के मामले में, अपराधी के खिलाफ अपील की गई थी

एक आदेश जिसके तहत अपराधी के खिलाफ कार्रवाई की गई थी। पी. डी. अग्रवाल के मामले में इस न्यायालय ने निम्नलिखित निर्णय दिया:

" 50. इसलिए, हमारी राय है कि आरोप 2 अलग करने योग्य होने के कारण, यह न्यायालय इस आधार पर आगे बढ़ सकता है कि

आरोप 2 के संबंध में अपीलार्थी साबित नहीं हुए।

XX

XX

XX

54. उपरोक्त कारणों से, हमारी राय है कि यह

यह एक उपयुक्त मामला नहीं है जहाँ इस न्यायालय को अपने विवेकाधिकार का प्रयोग करना चाहिए

संविधान के अनुच्छेद 136 के तहत अधिकार क्षेत्र। यह अपील है,

इसलिए, खारिज कर दिया गया। हालांकि, तथ्यों और परिस्थितियों में इस मामले में, लागत के बारे में कोई आदेश नहीं होगा।

28. वर्तमान मामले में, उच्च न्यायालय ने आदेश को रद्द कर दिया है

दंड इस आधार पर कि यह प्राकृतिक न्याय के सिद्धांत का उल्लंघन करता है। इस न्यायालय को सजा के आदेश को दरकिनार करने का कारण नहीं मिला है, जबकि ऐसे मामले में जहां सजा के आदेश को दरकिनार

कर दिया गया है, प्राकृतिक न्याय के सिद्धांत इस बात की गारंटी देंगे कि मामला अनुशासनात्मक प्राधिकरण को वापस भेज दिया जाए ताकि इस बात पर विचार किया जा सके कि क्या

केवल आरोप संख्या 4 के आधार पर अपराधी को कायम रखा जा सकता है या

नहीं।

29. उक्त निर्णय को ध्यान में रखते हुए, द्वारा दर्ज किए गए निष्कर्ष

डिवीजन बेंच ने कहा कि सजा का आदेश [2019] 9 एस. सी. आर. के आधार पर पारित किया गया।

आरोप संख्या के संबंध में असहमति के असंचारित कारण दर्ज किए गए हैं। 1 और 5 को दोष नहीं दिया जा सकता है। वास्तव में, श्री का तर्क। विश्वनाथन का कहना है कि केवल आरोप संख्या 4 सेवा से हटाने के दंड के क्रम को बनाए रखने के लिए पर्याप्त है। हालाँकि, आरोप संख्या 4 दंड देने के लिए पर्याप्त हो सकता है, लेकिन यह आवश्यक नहीं है कि केवल आरोप संख्या 4 में सेवा से हटाने की सजा होगी। न्यायिक समीक्षा की शक्ति का प्रयोग करते समय, आरोप संख्या 4 पर दर्ज निष्कर्षों को ध्यान में रखते हुए सेवा से हटाने के दंड के आदेश को बनाए रखना हमारे अधिकार क्षेत्र में नहीं होगा। यह अनुशासनात्मक प्राधिकरण पर है कि वह दोषी के खिलाफ साबित आरोप संख्या 4 को खोजने के बाद सजा दे क्योंकि वह उचित समझता है।

30. यह स्वीकार किया जाता है कि अपराधी सेवानिवृत्ति की आयु प्राप्त कर चुका है। हालांकि, पार्टियों की तारीख पर भिन्नता है

31. बी. करुणाकर मामले में, संविधान पीठ ने इस सवाल की जांच की कि यदि प्राकृतिक न्याय के सिद्धांत को लागू नहीं किया गया है और उस कारण से सजा का आदेश दूषित हो जाता है तो आदेश क्या होना चाहिए। अदालत ने कहा कि यदि सजा का आदेश दूषित हो जाता है, तो उचित राहत कर्मचारी को निलंबित करके और उसे रिपोर्ट प्रस्तुत करने के चरण से जांच जारी रखते हुए, जांच के साथ आगे बढ़ने के लिए प्रबंधन को स्वतंत्रता के साथ बहाली का निर्देश देना है। मजदूरी और अन्य लाभों के प्रश्न का निर्णय निश्चित रूप से संबंधित प्राधिकारी द्वारा कानून के अनुसार, कार्यवाही की समाप्ति के बाद और इस पर निर्भर करते हुए किया जाना चाहिए अंतिम परिणाम। न्यायालय ने निम्नानुसार अभिनिर्धारित कियाः

" 31. ..... यह केवल तभी है जब न्यायालय/न्यायाधिकरण को पता चलता है कि रिपोर्ट प्रस्तुत करने से मामले के परिणाम में अंतर आया होगा कि उसे सजा के आदेश को दरकिनार कर देना चाहिए। जहां उपरोक्त प्रक्रिया का पालन करने के बाद, न्यायालय/न्यायाधिकरण सजा के आदेश को रद्द कर देता है, वहां उचित राहत जो दी जानी चाहिए, वह कर्मचारी स्टेट बैंक ऑफ इंडिया को नियुक्त करके, जांच के साथ आगे बढ़ने के लिए प्राधिकरण/प्रबंधन को स्वतंत्रता के साथ कर्मचारी की बहाली का निर्देश देना है।

वी. मोहम्मद बदरूद्दीन [हेमंत गुप्ता, जे.]

निलंबन के तहत और के चरण से जांच जारी है उसे रिपोर्ट प्रस्तुत करना। यह प्रश्न कि क्या कर्मचारी अपनी बर्खास्तगी की तारीख से अपनी बहाली की तारीख तक वेतन और अन्य लाभों का हकदार होगा, यदि अंततः आदेश दिया जाता है, तो कानून के अनुसार संबंधित प्राधिकारी द्वारा निर्णय लेने के लिए हमेशा छोड़ दिया जाना चाहिए।

कार्यवाही और अंतिम परिणाम के आधार पर। यदि कर्मचारी नई जांच में सफल हो जाता है और उसे बहाल करने का निर्देश दिया जाता है, तो प्राधिकरण को कानून के अनुसार यह तय करने की स्वतंत्रता होनी चाहिए कि वह बर्खास्तगी की तारीख से बहाली तक की अवधि के साथ कैसा व्यवहार करेगा और क्या लाभ, यदि कोई हो और लाभों की सीमा के लिए, वह हकदार होगा। रिपोर्ट प्रस्तुत करने में विफलता के लिए जांच को अलग रखने के परिणामस्वरूप की गई बहाली को रिपोर्ट प्रस्तुत करने के चरण से नई जांच करने के उद्देश्य से बहाली के रूप में माना जाना चाहिए और इससे अधिक नहीं, जहां ऐसी नई जांच की जाती है। कानून में भी यही सही स्थिति होगी।

32. चूँकि अपराधी सेवानिवृत्ति की आयु प्राप्त कर चुका है, इसलिए बहाली या निलंबन का कोई आदेश नहीं हो सकता है। नज़र में इसके लिए 4 नवंबर, 1993 के सजा के आदेश के साथ-साथ अपीलीय प्राधिकरण के आदेश को भी दरकिनार कर दिया गया है और मामले को अनुशासनात्मक प्राधिकरण को वापस भेज दिया गया है ताकि इस बात पर विचार किया जा सके कि क्या वह चाहेगा।

आरोप संख्या पर असहमति के कारणों को दर्ज करना। 1 और 5 और/या आरोप संख्या 4 के आधार पर दंड अधिरोपित करें जिसके साथ कोई आरोप नहीं है।

असहमति, जो उचित लगे।

33. उपरोक्त को ध्यान में रखते हुए, विशेष अधिनियम से उत्पन्न होने वाली दीवानी अपील

2017 की अनुमति याचिका (सिविल) संख्या 20488 की अनुमति है। चूंकि, यह माना जाता है कि अपराधी सेवानिवृत्ति की आयु प्राप्त कर चुका है, इसलिए हम अनुशासनात्मक प्राधिकरण को तीन महीने के भीतर एक उचित आदेश पारित करने का निर्देश देते हैं।

वापस मजदूरी के भुगतान के संबंध में इस निर्णय की प्रति की प्राप्ति के साथ-साथ अपराधी को देय अंतिम लाभ, यदि कोई हो।

34. उक्त निर्देशों और स्वतंत्रता के साथ, अपीलों का निपटारा किया जाता है।

से।

अपी

लों का निपटारा किया गया।

कल्पना के. त्रिपाठी